UPSR010003852026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–निर्दोष कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D – UP–1659

जमानत आवेदन संख्या–140/2026

महफूज पुत्र अब्दुल कादिर उम्र–20 वर्ष निवासी–रेहली विशुनपुर, थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती, वर्तमान पता–कुन्ननपुर नौशहरा, थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

––––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1– राज्य उत्तर प्रदेश

2– तूफान पुत्र लतीफ निवासी–रेहली विशुनपुर, थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

3– डी०एल०एस०ए० श्रावस्ती।

4– सी०डब्लू०सी० श्रावस्ती।

––––– .अभियोजक/वादी।

मुकदमा अपराध संख्या–57/2026
धारा–137(2),74,127(2) बी०एन०एस०
व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट
थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

दिनांक–10–03–2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियुक्त महफूज द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–57/2026 धारा–137(2),74,127(2) बी०एन०एस० व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी तूफान पुत्र लतीफ ने प्रभारी निरीक्षक थाना–भिनगा को तहरीर दिनांक–09–02–2026 को इस आशय से दी कि दिनांक–08–02–2026 को समय शाम करीब 7:00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री पीडिता उम्र करीब 13 वर्ष शौच के लिए घर के बाहर गयी थी। जहाँ से विपक्षी महफूज उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भिनगा ले आया और अपने मकान में रखकर उसके साथ छेड़खानी किया। विपक्षी द्वारा उसकी लड़की को अपने घर के अन्दर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वादी को सूचना मिलने पर उसने भिनगा आकर डायल 112 नम्बर पर फोन किया। 112 नम्बर की पुलिस व थाने की पुलिस के सहयोग

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2026.03.10 15:44:02 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

से वादी ने अपनी पुत्री को घर से बाहर निकालकर अपनी पुत्री के साथ थाने पर सूचना देने आया है।

वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–भिनगा में अभियुक्त महफूज के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–57/2026 धारा–137(2),74,127(2) बी०एन०एस० व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया।

जमानत आवेदन/शपथ पत्र में आवेदक/अभियुक्त ने यह अभिकथित किया है कि उसे फर्जी एवं असत्य तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है और वह निर्दोष है। वास्तविक तथ्य यह है कि पीडिता से पढ़ाई को लेकर उसकी माता ने डांटा था। इसी से नाराज होकर वह भिनगा जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त का मकान पड़ता है। जो खाली था। तब तक पीडिता के पिता उसको ढूंढते हुए सड़क पर आ रहे थे। अपने पिता को देखकर वह खाली मकान में छुपने लगी। जिससे वादी ने समझार कि वह मकान उसके गांव के आदमी का है। वही उसकी लड़की को लाया होगा। इसी चर्चा गांव में किया तो गांव के कुछ लोग जो अभियुक्त के परिवार से रंजिश खते थे। मौका पाकर उन्हीं लोगों ने कहा कि आपकी बेटी अभियुक्त के घर के पास से मिली है। पीडिता के बयानों में काफी विरोधाभाष है। आवेदक/अभियुक्त के साथ पीडिता को जाते हुए किसी ने नहीं देखा और न ही उसके साथ मिली है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है, अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय से निरस्त नहीं हुआ है और न ही विचाराधीन है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में बराबर सहयोग करता रहेगा। अभियुक्त जमानत के निर्देशों का पालन करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) की बहस को सुना और अभियोजन प्रपत्र एवं केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं तर्कों को ही दोहराया है और अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। जबकि विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने दौरान बहस यह तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा अवयस्क पीडिता को भगाकर भिनगा में अपने मकान में बंद करके रखा गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने वाला है। अतः अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

केस डायरी एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि विवेचक द्वारा पीडिता के उम्र के सम्बन्ध में उच्च प्राथमिक विद्यालय कलन्दरडेरा विकास खण्ड हरिहरपुर रानी, श्रावस्ती के प्रधान शिक्षक द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र एकत्र किया

है, जो केस डायरी के साथ संलग्न है। जिसमें पीडिता की जन्मतिथि 01–01–2013 अंकित है। जिसके अनुसार घटना दिनांक 08–02–2026 को पीडिता की आयु 13 वर्ष 01 माह 07 दिन होना प्रथम दृष्टया साबित है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में बताया है कि घटना दिनांक को सायं 07:00 बजे शौच के लिए अपने घर के बाहर गयी थी तभी गांव का ही रहने वाला महफूज पीछे से आया और उसका मुंह दबाकर उसे अपने साथ आटो में बैठाकर भिनगा ले गया और कुन्ननपुर स्थित अपने घर ले गया और शादी का दबाव बनाने लगा और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक समबन बनाया और रात भर जबरदस्ती उसे अपने साथ घर में बन्द रखा। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में बताया है कि **घटना दिनांक को वह अपने खाला के घर चली गयी थी और रात भर वहीं पर रही थी। वह अभियुक्त को जानती नहीं है और अभियुक्त से पीछे से मुंह दबाकर अपने साथ आटो में बैठाकर नहीं ले गया था। अभियुक्त महफूज ने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाया था। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० को गलत बताया है**। पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० में गम्भीर विरोधाभाष है और पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 07 वर्ष की सजा से दण्डनीय है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन करने हेतु तैयार हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण दोष पर अंतिम निष्कर्ष दिये बिना ही अभियुक्त को आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाना उचित है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त महफूज का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त महफूज द्वारा द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–57/2026 धारा–137(2),74,127(2) बी०एन०एस० व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग कि विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा उनके आहूत करने पर बराबर उपस्थित होकर सहयोग करेगा, गवाहों के आने पर जिरह करेगा, गवाहों के पक्षद्रोही होने पर दबाव नहीं देगा के प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–10–03–2026

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।